

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) जिला बड़वानी म0प्र0

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक- 2057 माननीय विधायक श्री रमेश पटेल

परिशिष्ट "अ" "उ"

क्रं.	विकास खण्ड	छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत कलेक्टर दर के पदों की संख्या	कलेक्टर दर	छात्रावास/आश्रमों में स्वीकृत कलेक्टर दर के पदों की संख्या	कलेक्टर दर	अशकालीन	रिक्त
	बड़वानी	96	45	46	05		
	पानसेमल	27	24	02	01		
	निवाली	11	08	03	0		
	पट्टी	51	48	02	01		
	राजपुर	25	16	6	03		
	टीकरी	48	35	10	03		
	सैधवा	49	41	06	02		
	योग-	307	217	75	15		

Atul Singh
 सहायक संचालक
 आदिवासी विकास,
 ब. म.

आदिवासी विकास बड़वानी

5 परिशिष्ट 1/6

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक : एफ 8-3/2015 नियम/चार

भोपाल, दिनांक 23/मार्च, 2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व विभाग, ग्वालियर,
समस्त संभागीय अधिकारी,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय- स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक, अंशकालीन भृत्य एवं अशकालीन सफाई कर्मचारी के पारिश्रमिक में वृद्धि।

संदर्भ- वित्त विभाग का जप क्रमांक एफ 8/1/2008/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2008 एवं एफ 8-3/2011/नियम/चार, दिनांक 10 अप्रैल, 2011।

राज्य शासन के विभिन्न गतिविधियों/योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न मैदानों कार्यालयों द्वारा अल्प अवधि के छोटे-छोटे कार्यों हेतु अंशकालिक व्यक्तियों को कार्य पर लगाया जाता है तथा उन्हें अलग-अलग दरों से भुगतान दिया जाता था जिसमें एकरूपता लाने की दृष्टि से वित्त विभाग के संवर्धित ज्ञाप द्वारा संविदा एवं अंशकालिक कर्मचारियों को पारिश्रमिक में दिनांक 1-4-2011 से वृद्धि की गई थी।

2/ उपर्युक्त पारिश्रमिक में वृद्धि की आवश्यकता पर विचार करते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अंशकालिक सफाई कर्मचारियों, अंशकालिक भृत्यों एवं स्कूलों में कार्यरत अंशकालिक लिपिकों का पारिश्रमिक अप्रैल 2015 (माह अप्रैल 2015 का पारिश्रमिक जो मई 2015 से देय है) के अनुसार निर्धारित किया जाये :-

माह अप्रैल 2015 का पारिश्रमिक
जो मई 2015 में देय होगा

- | | |
|--|-------------------|
| ■ स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन लिपिक का पारिश्रमिक | ₹ 5000/- प्रतिमाह |
| ■ अंशकालीन भृत्यों का पारिश्रमिक | ₹ 4000/- प्रतिमाह |
| ■ अंशकालिक सफाई कर्मचारियों का पारिश्रमिक | ₹ 2000/- प्रतिमाह |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनीष रस्तांगी)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

सहायक सचिव

वायुक्त बादिबादी विभाग,


घ. ब.


गुप्ता क्रमांक : एफ 8-3/2015/नियम/च
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 27 मार्च, 2015

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन मदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) जाडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकार मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मध्यप्रदेश, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, जाल, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी ज्ञान्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कौषालय अधिकारी /उप कौषालय अधिकारी
25. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बोनस, म.प्र. किसान भवन, भोपाल
26. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारियों, मध्यप्रदेश
27. गाड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये अप्रेषित ।


सहायक संचालक
आयुक्त आदिवासी विकास,
ब. प्र.


(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग